

फर्द अहकाम

मौजूके

बनाम

शुलीदेवी

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

केस संख्या

विराटनगर (जयपुर)

9/2015

पार्थिवराज

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	आज्ञा या कार्यवाही
	14-7-20	<p>वकुलप 300। वास्ते पेप हौरे तल्बी कापस मुकाम दिनांक 188-20 के पेप से तब तक पूर्व आदेश प्रभावी रहेगा।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)</p>	
	18820	<p>वकुलप 300 गज आदेश के पालन के दिनांक 208-20 के पेप से तब तक पूर्व आदेश प्रभावी रहेगा।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)</p>	
	20820	<p>वकुलप 300। बरस प्रापत्र सी गजी बाद बरस मनन व डावलकेज प्रापत्र प्रस्तुत प्रकार के न्यायालय राजा डाए दिनांक 27-11-5 के अंतर्गत आदेश जारी किया गया है। अतः दोनों पक्षों के सम्बन्ध में शूलवाह अस्थापी निवेदाज्ञा के वाक्य किपा जा रहा है कि वे शूलवाह संख्या 124 में दर्ज खाना किता 25 एकड़ • 8/16/86 वाले ग्राम देवली तहसील विराटनगर को काशन करने की पधारिअति बनाये रखे व उपयोग उपयोग में बाधाकारित नाकरे। फगावली प्रापत्र स्वीकृत किया जाकर confirm किया जाता है। फगावली फौसल शुलु बकल इस किता दाला रहे नम्बर से कम बचे।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)</p>	